स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर 26 अगस्त से 1 सितम्बर, 1997 तक आयोजित संसद के विशेष सत्र में राज्य सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प

हम, राज्य सभा के सदस्य, स्वतंत्रता की अर्द्धशताब्दी के पूर्ण होने के स्मृति-स्वरूप, संसद के दोनों सदनों के विशेष रूप से बुलाए गए स्वर्ण जयन्ती सत्र में भाग लेते हुए;

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए महान बलिदानों और उत्कृष्ट सेवाओं का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए;

लोकतंत्र की सतर्कतापूर्वक रक्षा करने तथा राष्ट्र की एकता की रक्षा करने में देश की जनता की परिपक्वता और देश की सेवा में हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों जिनमें भूतपूर्व सैनिक भी सम्मिलित हैं, के पराक्रम का अत्यंत संतोष और गर्व के साथ स्मरण करते हुए;

संविधान की प्रस्तावना को अपना मार्ग-दर्शक मानकर राष्ट्र की दशा का स्मरण करते हुए;

तत्पश्चात्, हमारे वर्तमान राजनीतिक जीवन, देश में लोकतंत्र की स्थिति, हमारी अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा मानव विकास से संबंधित मामलों पर विशिष्ट रूप से चर्चा करते हुए;

अब, एतत् पश्चात् उल्लिखित मुद्दों के प्रति अपनी संयुक्त एवं सर्वसम्मत वचनबद्धता का सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करते हैं और सत्यनिष्ठापूर्वक यह भी संकल्प करते हैं तथा निदेश देते हैं कि इन मुद्दों को इस ऐतिहासिक अवसर पर तैयार की गई "भारत की कार्यसूची" में न्यूनतम कार्यों के रूप में अंगीकार किया जाये;

कि सार्थक चुनाव सुधार किये जायें जिनसे संसद तथा अन्य विधायी निकाय लोकतंत्र के संतुलित तथा प्रभावकारी साधन बनें और कि राजनीतिक जीवन तथा प्रक्रियायें, शासन-तंत्र पर, अपराधीकरण सहित अवांछनीय बाह्य कारकों के कुप्रभाव से मुक्त रहें;

कि सार्वजनिक जीवन में और अधिक पारदर्शिता, ईमानदारी तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर एवं सक्रिय प्रयास शुरू किये जायें ताकि संसद तथा अन्य विधायी निकायों की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा सुनिश्चित एवं परिवर्द्धित हो; कि विशेष रूप से सभी राजनीतिक दल ऐसे सभी कदम उठायेंगे जिनसे हमारी राजनीति को अपराधीकरण अथवा उसके कुप्रभावों से मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके;

कि संसद की प्रतिष्ठा को दोनों सदनों के सुचारू कार्य संचालन से संबंधित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी सभी नियमों और पीठासीन अधिकारियों के निदेशों में निहित समस्त प्रावधानों का सजगता

और गरिमापूर्वक पालन करते हुए विशेष रूप से अधोलिखित व्यवहार के माध्यम से सुरक्षित तथा परिवर्द्धित किया जाये-

- प्रश्नकाल को निर्विघ्न बनाये रखना,
- सदन के आधिकारिक क्षेत्रों में अतिक्रमण अथवा कोई नारेबाजी न करना, तथा
- गणतंत्र के राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई व्यवधान अथवा हस्तक्षेप करने के प्रयासों से अनिवार्य रूप से बचना;

कि यह मानते हुए कि जनसंख्या की आर्थिक दृष्टि से असहनीय वृद्धि हमारी अधिकांश मानवीय, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस वृद्धि को रोकने के लिए जोरदार राष्ट्रीय अभियान चलाया जाये;

कि सभी स्तरों पर शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जाये तथा इसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये; कि संविधान द्वारा आदेशित प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में हुई उपलब्धि पर गहन निगरानी रखी जाए; और कि प्राथमिक शिक्षा को लोक व्यापी बनाने के लक्ष्य को सन् 2005 तक प्राप्त किया जाये;

कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रबंधन सूझाबूझा के साथ तय किया जाए जिसमें निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाए-

- संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना तथा उनके अपव्यय से बचना;
- आधारभूत ढांचे के विकास पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना;
- धन का सृजन पूर्ण, स्वेच्छा से चयनित तथा उत्पादक रोजगार, निर्धनता उल्मूलन और समानता तथा समाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के अवलम्बनीय साधन के रूप में करना; और
- संतुलित क्षेत्रीय विकास;

कि देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार के लक्ष्य को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जायें, जिसमें हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं अर्थात पारिवारिक स्तर पर भोजन, पोषाहार एवं स्वास्थ्य रक्षा; पेयजल; स्वच्छता और आवास पर विशेष जोर दिया जाए;

कि संयुक्त राष्ट्र चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन (1995) की घोषणा तथा कार्य मंच की भावना के अनुरूप लिंग-भेद रहित न्याय की स्थापना की जाये तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए इसे जीवन शैली के रूप में अपनाया जाये;

कि पर्यावरण-सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी एवं जैव-विविधता के संरक्षण हेतु हमारे देशवासियों के जीवन में मूल्यों का विकास करने तथा उनके जीवन और कार्यशैली में तालमेल स्थापित करने के लिए सतत् प्रयास किये जायें;

कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्यत: एक वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने के लिए किया जाये, सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रयासों का संवर्धन करके इनका विकास किया जाये और इनका उपयोग न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि सर्वांगीण मानव विकास के लिए भी किया जाये;

और अन्तत: कि सहभागी लोकतंत्र का सार तत्व हमारी आत्मनिर्भरता की राष्ट्रीय भावना विकसित करने में देखा जाये जिसके अंतर्गत हमारे देश के नागरिक केवल सरकारी प्रयासों के लाभार्थी न हों बल्कि राष्ट्रीय प्रयासों के सभी क्षेत्रों में बराबर के भागीदार हों।